17.10.2022

पत्रावली पेश हुई।
वादी अधिवक्ता उपस्थित।
प्रतिवादीगण के बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सयुंक्त खातेदारी के खेत मौजा शिवाजी नगर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 288/81, 51, 52, 60, 61 रकबा क्रमशः 28.6517, 7.2358, 10.2062, 4.0630, 9.7448 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/2 खातेदारी हिस्सा आया हुआ है तथा उक्त हिस्सा मुजब अनुसार पक्षकार मौके पर काबिज काश्त है। राजस्व रेकर्ड में खातेदारान् के हिस्से खुले हुए है किन्तु विभाजन नहीं किया हुआ है। उक्त सामलाती खातेदारी में पक्षकार मौखिक बंटवारा अनुसार मौके पर काबिज काश्त है, किन्तु वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी की जा रही है तथा मौखिक बंटवारा अनुसार तय सेढे को तोड़ने पर आमादा है, साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी की विकसित आराजी को जबरन अजनबी क्रेताओं को बेचान करने की धमकियां दी जा रही है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमि में वादी के कब्जा काश्त में दखलदांजी करने एवं बाधा उत्पन्न करने से मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति पैदा होने से मौके पर विवादित आराजी में वादी के हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार सामूहिक रास्ते का अंकन करते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर बाई मिट्स बाउण्ड विभाजन करवाने का वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। पत्रावली में वादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया तथा इएक्सपी 1 से इएक्सपी 5 तक दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। वाद पत्र के साथ पेश जमाबंदी में खातेदारान् के हिस्से खुले हुए है।

पत्रावली में वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित हिस्सा एवं मौके पर पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार सामुहिक रास्ते का अंकन करते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर बाई मिट्स बाउण्ड बंटवारा किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी अधिवक्ता द्वारा अपने खातेदारी हिस्सा में मौके पर कब्जा अनुसार सामुहिक रास्ते का अंकन करते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन हेतु निवेदन किया गया है तथा प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे है। राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान् के हिस्से खुले हुए है। अतः उक्त स्थिति में वादी विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने तथा अपने खातेदारी हिस्से का राजस्व रेकर्ड व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार सामुहिक रास्ते का अंकन करते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने का अधिकारी होने से वाद को प्राथमिक तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद प्रारंभिक/प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा शिवाजी नगर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 288/81, 51, 52, 60, 61 रकबा क्रमशः 28.6517, 7.2358, 10.2062, 4.0630, 9.7448 हैक्टेयर में राजस्व रेकर्ड अनुसार वादी का 1/2 खातेदारी हिस्सा की भूमि का मौके पर माफिक कब्जा काश्त अनुसार सामुहिक रास्ते का अंकन करते

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड पृथक कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार शिव को 500/- रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क खातेदार मौके पर अदा करेंगे। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो।

तहसीलदार शिव को विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव आईन्दा दिनांक 03.2.23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

03.2.23 — पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 17.3.23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

17.03.23 — पत्रावली पेश हुई।
वादी अधि० अनु०।
पत्रावली वास्ते TDR शिव ~~को~~ से विभाजन प्रस्ताव का इंतजार होकर आइन्दा दिनांक 05.05.23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

05.05.23 — पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 9.06.23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

09.6.23 — पत्रावली पेश हुई।
वादी अधिवक्ता उपस्थित।
TDR शिव से पूर्व में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव की बहस हेतु दिनांक 12.06.23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

0 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.23	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार बाबत सहमति प्रदान की गई। बहस सुनी जाकर निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) शिव	मालिक विभाजन प्रस्ताव विभाजन करवाने बाबत सहमत है (हस्ताक्षर) 12.06.2023

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 60/2022   अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मानाराम पुत्र चैनाराम जाति जाट, निवासी शिवाजी नगर तहसील व जिला बाड़मेर		1. हरखाराम पुत्र चैनाराम जाति जाट, निवासी शिवाजी नगर तहसील व जिला बाड़मेर 2. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, उण्डू 3. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादीगण – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 12.06.2023

वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल कानासर के ग्राम शिवाजी नगर के खेत खसरा नम्बर 288/81, 51, 52, 60, 61 रकबा क्रमशः 28.6517, 7.2358, 10.2062, 4.0630, 9.7448 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	हरखाराम पुत्र चैनाराम कौम जाट सा. देह खातेदार	शिवाजी नगर	51	3.6179	बा.दो.	2.01	हरा
			61	4.8724	बा.दो.	2.71	
			60	2.0315	बा.दो.	1.13	
			52	5.1031	बा.दो.	2.83	
			288/81	7.1350	बा.दो.	3.98	
			288/81	7.1350	बा.दो.	3.98	
			6	29.8949	बा.दो.	16.64	
2	मानाराम पुत्र चैनाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन पीएनबी उण्डू	शिवाजी नगर	51	3.6179	बा.दो.	2.01	लाल
			61	4.8724	बा.दो.	2.71	
			60	2.0315	बा.दो.	1.13	
			52	5.1031	बा.दो.	2.83	
			288/81	14.2700	बा.दो.	7.96	
			5	29.8949	बा.दो.	16.64	
3	हरखाराम मानाराम पि0 चैनाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन–मानाराम का हिस्सा पीएनबी उण्डू	शिवाजी नगर	288/81	0.1117	बा.दो.	0.06	कबूतर

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित इस निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर शिव
जिला-बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 12.06.2023 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव